न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 99/2023
GCMS Case No. 2023/235

सायल :–	बनाम	गैरसायल:–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		महेन्द्र पुत्र श्री भगवानदास जाति जीनगर निवासी 193 राम रहिम कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

:: निर्णय ::

दिनांक :– 16.7.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 03.10.2023 को गैरसायल महेन्द्र पुत्र श्री भगवानदास जाति जीनगर निवासी 193 राम रहिम कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2021 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। सभी प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चालान नम्बर/दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	04/02.01.2021	13 आरपीजीओ	02 /12.01.2021	सजा दिनांक 30.01.2021 को 100 रूपये जुर्माना
2	446/09.12.2022	13 आरपीजीओ	310/14.12.2022	सजा दिनांक 15.12.2022 को 100 रूपये जुर्माना
3	142/17.04.2023	13 आरपीजीओ	94/28.04.2023	सजा दिनांक 17.05.2023 को 100 रूपये जुर्माना
4	286/13.08.2023	13 आरपीजीओ	192/28.08.2023	सजा दिनांक 02.09.2023 को 100 रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल महेन्द्र पुत्र श्री भगवानदास जाति जीनगर निवासी 193 राम रहिम कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली निरन्तर रूप से जुआ खेलने की प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner

में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय एसीजेएम कोर्ट (सा.दगा) पाली में मुकदमा नम्बर 286/2023 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार माननीय एसीजेएम कोर्ट (सा.दगा) पाली ने मुकदमा नम्बर 142/2023 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल महेन्द्र पुत्र श्री भगवानदास जाति जीनगर निवासी 193 राम रहिम कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(ख)(5)/3 के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना बाली जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 31.07.2024 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 90 दिन में बारह बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल महेन्द्र पुत्र भगवानदास इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली गैरसायल महेन्द्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner

पुत्र भगवानदास को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना बाली जिला पाली उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना बाली जिला पाली एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 16/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner